राज्यपाल सचिवालय, बिहार
बिहार लोक भवन, पटना–800022

पत्रांक– BSU(Directive)-09/2025 2553 रा.स.(I) दिनांक– 28/10/26

प्रेषक,

संजय कुमार, भा.प्र.से.
राज्यपाल के अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति,
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ/
विशेष कार्य पदाधिकारी(न्यायिक),
बिहार लोक भवन/
चिकित्सा पदाधिकारी,
बिहार लोक भवन

विषयः– **अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण पर विचार करने हेतु गठित Steering Committee की बैठक में भाग लेने के संबंध में।**

प्रसंग **राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना संख्या–BSU(Directive)-09/2025-2488/ रा.स.(I) दिनांक–22.10.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9(7)(i) के आलोक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए बिहार लोक भवन में संचालन समिति (Steering Committee) गठित किया गया है। उक्त संचालन समिति का अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. विवेकानन्द सिंह, कुलपति, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को मनोनीत किया गया है।

Steering Committee की बैठक दिनांक–05.11.2026 को अपराह्न 01:00 बजे बिहार लोक भवन में निर्धारित की गई है।

अतः अधिसूचना की प्रति संलग्न करने हुए अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

28/10/26

(संजय कुमार)
राज्यपाल के अपर सचिव

अनु.–यथोक्त।

ज्ञापांक– पत्रांक– BSU(Directive)-09/2025 2553 रा.स.(I) दिनांक– 28/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित/ संयुक्त निदेशक, NIC को बिहार लोक भवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ पुलिस उपाधीक्षक (सुरक्षा), राज्यपाल सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

राज्यपाल के अपर सचिव

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

बिहार लोक भवन, पटना–800022

अधिसूचना

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9(7)(i) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण पारस्परिक तथा मानवीय एवं सहानुभूति के आधार पर किया जाता है।

इस सचिवालय के पत्रांक–329/रा.स.(i) दिनांक–27.02.2025 द्वारा अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण (मानवीय एवं सहानुभूति के आधार पर) हेतु निर्गत दिशा–निर्देश में **1. पति और पत्नी को साथ रहने में सक्षम बनाना(यदि दोनों किसी विश्वविद्यालय अन्य सार्वजनिक सेवा में कार्यरत हैं), 2. स्वयं या आश्रित की जीवन–घातक बीमारियों के लिए बेहतर चिकित्सा उपचार तक पहुँच प्राप्त कराना** वर्णित है।

अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के संबंध मे प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु बिहार लोक भवन में एक संचालन समिति (Steering Committee) का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना एवं कार्य प्रक्रिया निम्नवत् हैः—

1.	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, वि.वि. (यथास्थिति)	–	संयोजक
2.	एक कुलपति (माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित)	–	सदस्य
3.	विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) OSD (J)	–	सदस्य
4.	बिहार लोक भवन अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य

2. बिहार लोक भवन का विश्वविद्यालय अनुभाग स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की सूची संकलित कर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

3. समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जा सकेगी।

4. संचालन समिति बिहार लोक भवन द्वारा पूर्व में संसूचित स्थानांतरण के आधारों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण संबंधी अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार कर स्थानांतरण की वांछनीयता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/10/26

(दीपक कुमार सिंह)
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– BSU(Directive)-09/2025–2488 /रा.स.(i), दिनांक– 22/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, बिहार के सभी विश्वविद्यालय/ माननीय राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव (वि.वि.)/ विशेष कार्य पदाधिकारी (वि.वि.)/ संयुक्त निदेशक, NIC/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ राज्यपाल सचिवालय के संबंधित पदाधिकारी/ कार्यालय आदेशपुस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/26

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव